

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(5)न्याय/2023

जयपुर, दिनांक: 21.09.2023


:: आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत उप विधि परामर्शी की वर्ष 2023-24 के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 15.09.2023 को आयोजित की गई। विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंसा के अनुसार निम्नलिखित सहायक विधि परामर्शी का चयन वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर होने के फलस्वरूप इन्हें संयुक्त विधि परामर्शी के पद पर वेतन श्रृंखला PB No.-3 (15600-39100) GP No.-19 (7200) L-18 में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम अधिकारी (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	रिक्ति की तिथि	क्र.सं.	नाम अधिकारी (सर्व श्री/सुश्री/श्रीमती/डॉ.)	रिक्ति की तिथि
1.	उषा शर्मा	01.04.2023	16.	रेखा चौधरी	01.04.2023
2.	कल्पना शर्मा	01.04.2023	17.	शैलेन्द्र रंगा	01.04.2023
3.	गौतम आचार्य	01.04.2023	18.	सुरेश अग्रवाल	01.04.2023
4.	मंजु बाला किराडु	01.04.2023	19.	सुचित्रा चौधरी	01.04.2023
5.	राजसिंह	01.04.2023	20.	साधना मिश्रा	01.04.2023
6.	हिमांशु भाटिया	01.04.2023	21.	अजय अग्रवाल	01.04.2023
7.	हिमांशु शर्मा	01.04.2023	22.	शबाना कुरेशी	01.04.2023
8.	सुखदेवसिंह	01.04.2023	23.	रुची अग्रवाल	01.04.2023
9.	भारती शर्मा	01.04.2023	24.	कपिल शर्मा	01.04.2023
10.	धर्मपाल शर्मा	01.04.2023	25.	मनोज कुमार गुप्ता	01.04.2023
11.	सुमित शर्मा	01.04.2023	26.	मनोज बंसीवाल, अजा	01.04.2023
12.	तरुण दाधीच	01.04.2023	27.	रेखा मीणा, अजजा	01.05.2023
13.	अनामिका भूषण	01.04.2023	28.	हेमन्त कुमारी, अजा	01.06.2023
14.	जगमोहन मित्रुका	01.04.2023	29.	वंदना मीणा, अजजा	01.07.2023
15.	सविता गहलोत	01.04.2023	30.	प्रवीण कुमार मीणा, अजजा	11.07.2023


उपरोक्त सभी पदोन्नत अधिकारी अपने वर्तमान पद को अस्थाई रूप से यथा आवश्यकतानुसार क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्य करते रहेंगे एवं कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को प्रेषित करेंगे। पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होगा। उपरोक्त पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जाएंगे।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से


(ज्ञान प्रकाश गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


(अंशु कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक: प.22(5)न्याय/2023

जयपुर, दिनांक: 22.09.2023

:: संशोधित आज्ञा ::

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 28 के अन्तर्गत उप विधि परामर्शी की वर्ष 2023-24 के रिक्त पदों पर पदोन्नति के संबंध में जारी इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 21.09.2023 के पंक्ति संख्या-4 में अंकित संयुक्त विधि परामर्शी के स्थान पर उप विधि परामर्शी पढ़ा जावे।

आज्ञा से


(अशुतोष कुमावित)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक।
4. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. संबंधित अधिकारी/विभाग।
6. प्रोग्रामर, विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव